न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 43/2019

1–विक्रम सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपुत निवासी नावां तहसील नावां जिला नागौर, राज0।
2–नवाब खां पुत्र सांवत खां जाति कायमखानी निवासी नावां तहसील नावां जिला नागौर राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1.–तहसीलदार नावा, तहसील नावां जिला नागौर
2– पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से ।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91(3) बअनुवान सरकार बनाम विक्रम सिंह , मु0सं0 29/19 निर्णय दिनांक : 05.07.2019 को निरस्त करने बाबत।

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :10.02.2021

{1} –मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नावां ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम साभर झील नावां के खसरा नम्बर 01 रकबा 1.20 हैंक्टरय किस्म गै0मु0झील पर नमक क्यार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जो कि सरकार (गै0मु0 झील) की भूमि है। जिसकी जांच भू0अ0 निरीक्षक नावां द्वारा की गई, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को बेदखल किया जावे तथा कानूनी कार्यवाही की जावें के आशय की रिपोर्ट पटवारी ने दी जिस पर तहसीलदार नावां द्वारा हस्व रिपोर्ट पटवारी हल्का नावां जांच रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक नावा खसरा परिवर्तनशील अनुसार अप्राथी को जरिये सम्मन अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

91 एल0आर0एक्ट 1956 के तलब किया गया । अप्राथीगण को नोटिस अप्रार्थीगण विक्रम सिंह पुत्र सज्जन सिंह के कार्यालय मुनीम भवानीसिंह से तामिल एवं नबाब खां पुत्र सांवत खां कायमखानी के आबाद मकान पर चस्पा से तामिल प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी विक्रम सिंह बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहा तथा ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया एवं नवाब खां पुत्र सावंत खा कायमखानी ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसकी जांच हल्का पटवारी से करवायी गयी पटवारी ने अतिक्रमण होना बताया है। भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण का अतिक्रमण होना बताया है तथा अप्रार्थीगण ने संवत 2074 में भी अतिक्रमण कर रखा था। जिसको पटवारी हल्का द्वारा बेदखली आदेश की पालना में पूर्व में दिनांक 26.02.2019 को बेदखल किया जा चुका है, बार बार अतिक्रमण हटाने के बाद भी अप्रार्थीगण ने अतिक्रमण कर लिया है जो कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण की परिभाषा में आता हैं अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ राजकीय भूमि से बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जाना व कानूनी कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। पटवारी हल्का नावां के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण बार बार अतिक्रमण करने का आदि है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से तहसीलदार नांवा द्वारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 29/2019 सरकार बनाम विक्रम सिंह वगै0 में निर्णय दिनांक 05.07.2019के तहत मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नं0 01 रकबा 01.20 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील भूमि पर नमक क्यार बनाकर अतिक्रमण करने व पूर्व में भी सम्वत 2074 में अतिक्रमण करने पर अप्रार्थीगण के खिलाफ भौतिक रूप से बेदखली व शास्ति तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी होने से अप्रार्थीगण के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत अप्रार्थीगण को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया तथा भौतिक रूप से बेदखली व लगान दर का 50 गुणा से 240/– रू0 अक्षरे दो सौ चालीस रूपये की शास्ती आरोपित की गयी। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय 05.07.2019 की फोटोप्रति, अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 31/2019 सरकार बनाम विक्रम सिंह वगै0 के फर्द अहकाम दिनांक 17.06.2019 से 05.07.2019 की फोटोप्रति,पटवारी हल्का नावां

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

की रिपोर्ट व बयान की फोटोप्रति, फर्द बेदखली दिनांक 26.02.2019 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति पेश की गयी।

उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर दिनांक 10.07.2019 को अप्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.07.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड दिनांक 24.07.2019 को प्राप्त हुआ, शामिल मिसल किया गया।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने मे विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने के अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(4) – यह है कि तहसीलदार नावां द्वारा पूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा जिस भूमि पर पटवारी हल्का अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई है। एवं जिस पर तहसीलदार नावां द्वारा जुर्माना व बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2}(5) – यह है कियह है कि अपीलार्थीगण का झील भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है, पूर्व अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि का नाप चौंक करवाया जाना आवश्यक है। जिसे सपरिवर्तन भी किया जा चुका है।

{2}(6) – यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को 1.00 हैक्टर भूमि के उपर अतिक्रमण करने का नोटिस जारी दिया गया है। जबकि अपीलार्थीगण की भूमि का नाप चौक आज दिन तक नही हुआ है अपीलार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी शुदा नमक उत्पादन हेतु रूपान्तरित भूमि का नाप चौक कराने के लिये तैयार है।

{2}(7) –यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी के बयानो के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट का किसी प्रकार की जिरह का मौका नही दिया गया है, ना ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया है एवं पटवारी द्वारा बिना नाप के गलत रिपोर्ट दी गई है। उक्त भूमि अपीलान्ट की स्वामित्व सुदा भूमि है।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नांवा व भू0अ0निरीक्षक नावां की रिपोर्ट, अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम साभंर झील, नावां के खसरा नम्बर 1 रकबा 01.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार, बनाकर अतिक्रमण किया है, तथा पूर्व मे भी सम्वत 2074 से अतिक्रमण करना पत्रावली संख्या 17/18 रिकार्ड पर उपलब्ध होने से साबित है कि अप्रार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद सूचना के अनुपस्थित होना अभिलेख से साबित होता है। नोटिस आबाद मकान पर चस्पादंगी से तामिल हुआ है, अधिवक्ता श्र जे0पी0 नेहरा ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी ने 30.07.19 की पटवारी हल्का नावां की मौका बेदखली फर्द रिपोर्ट भी पेश की है, जिसके अनुसार मौके पर से अतिक्रमित रकबा से अतिक्रमी ने स्वयं कब्जा हटा लिया जाना अंकित किया है, जिससे हस्तगत सिवायचक भूमि को उसके द्वारा कब्जे से भी ले लिया गया है। जिसमें 3 माह का सिविल कारावास भी दिया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

इस प्रकार अपीलान्ट ने स्वयं राजकीय भूमि से स्वतः कब्जा हटा लिया जाने से सहानुभूतिपर्वक 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित होने से अधिनस्थ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाना उचित है।

:::: <u>आ दे श</u> ::::

अपीलान्ट की अपील पर सहानुभुति पूर्वक विचार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 में दी गयी 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधिनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है।

(शिवपाल सिंह बरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल सिंह बरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)